

**दिनांक 20.07.2017 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या**

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम— लखनऊ जोन, मुख्यालय, लखनऊ

दिनांक—29.12.2017 (9/9)

क्रम सं०	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल नं०	शिकायत का विषय	पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्रीमती सावित्री त्रिपाठी पत्नी श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी 20, आवास विकास कालोनी, फैजाबाद मो० नं०—9452056129	अशाफाक उल्लाह कालोनी, फैजाबाद भवन संख्या—20 के सामने स्थित खुले क्षेत्र के सम्बन्ध में	—	—	अधिसासी अभियन्ता, नि०ख०—21 के पत्रांक 1102/वाई—4 दिनांक— 27.07.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा अपने अवैध निर्माण के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है। मा० न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव है।	<b>प्रकरण निस्तारित</b>
2.	श्री सचेन्द्र यादव ग्राम—उतरारा, पो०— बनवारा, जिला फिरोजाबाद। मो०—7017741231	परिषद की शिकोहाबाद यो० के भूखण्ड सं०— 1ए/121 के सापेक्ष निर्गत आवंटन पत्र के निरस्तीकरण के उपरान्त अधिक काटी गयी धनराशि के सम्बन्ध में	—	—	सं०प्र०— फिरोजाबाद के पत्रांक—1059 दिनांक 29.07.2017 के द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में आवासीय भूखण्ड सं०— 1 ए/121 का प्रदेशन पत्र दिनांक 15.04.2017 को जारी किया गया। आवेदक द्वारा दिनांक 12.05.2017 को निरस्तीकरण के अनुरोध पर परिषद नियमानुसार टोकन मनी की सम्पूर्ण धनराशि जप्त कर ली गयी है।	<b>प्रकरण निस्तारित</b>
3.	श्री उदय शंकर मिश्रा 603, पटेल नगर, गोण्डा(उ०प्र०) मो० नं०—9453164932	भरतपुरी योजना, गोण्डा स्थित भवन, सं०—डब्लू—22 के नामान्तरण निरस्त करने के सम्बन्ध में	—	07 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक, गोण्डा के पत्रांक 479 दिनांक 31.07.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती केवलपति श्रीवास्तव की मृत्यु के उपरान्त परिषद नियमानुसार भवन सं० डब्लू—224 का नामान्तरण दिनांक 5.12.2012 को उनकी पुत्री सुश्री उमारानी के नाम किया गया है। श्री उमाशंकर मिश्रा नामान्तरण से संतुष्ट न होने की दशा में माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, अवगत करा दिया गया है।	<b>प्रकरण निस्तारित</b>

4.	श्री राम पृत्र रामफेरन भवन सं०-12बी/696, वृन्दावन योजना लखनऊ। मो० नं०-9559158904	वृन्दावन यो० सं०-3, लखनऊ स्थित दुर्बल आय वर्ग के भवन सं०-12बी/694 से 12बी/699 के सामने सड़क पर जल भराव के सम्बन्ध में	-	01 माह	अधिकासी अभियन्ता, नि०ख०-12 के पत्रांक 2009/परि०दिवस दिनांक 16.08.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि लीकेज नि०ख०-15 एवं WBM व WMM के माध्यम से करा दिया गया है।	प्रकरण निस्तारित
5.	श्रीमती प्रीति उपाध्याय पत्नी श्री अरविन्द उपाध्याय निवासी-16/278/2 इन्दिरा नगर, लखनऊ मो० नं०-9452062894	भवन संख्या-16/278/2, इन्दिरा नगर, लखनऊ के नामान्तरण के सम्बन्ध में	-	-	सम्पत्ति प्रबन्धक- इन्दिरा नगर के पत्रांक 1940-सं०प्र०-इं०न० दिनांक 28.07.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों के दृष्टिगत उनके आवेदन पर कार्यवाही सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित
6.	श्रीमती सोमा पाण्डेय, म०नं०-16/190, लौलाई चिनहट, लखनऊ मो०नं०-7052015222	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के भवन सं०- सी-1246 के फर्जी नामान्तरण के सम्बन्ध में।	-	15 दिन	स०प्र०, इन्दिरा नगर के पत्रांक 1879 दिनांक 25.07.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मुकुल सुधीर पाण्डेय द्वारा फर्जी प्रपत्रों के आधार पर कराया गया नामान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया है।	प्रकरण निस्तारित
7.	श्रीमती सत्यभामा पाण्डेय, नि० ग्रम-कुठा, केशवपुर, पोस्ट दर्शन नगर, फैजाबाद।	परिषद की योजना सं०-4, लखनऊ के भूखण्ड सं०-19ए/109 के विरुद्ध आरोपित विलम्ब शुल्क/एवं रख-रखाव माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	-	07 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक, वृन्दावन योजना के पत्रांक 4451/सं०प्र०-वृन्दावन दिनांक 02.08.2017 के अनुसार परिषद नियमानुसार रखरखाव शुल्क माफी हेतु आवेदन किये जाने पर शुल्क माफ किया जा सकता है। तत्पश्चात नियमानुसार रखरखाव शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्रदान किया जायेगा की सूचना आवेदक को दे दी गयी है।	प्रकरण निस्तारित
8.	श्री जीत बहादुर (परिषद कर्मचारी) म०न०-16/453, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के दुर्बल आय वर्ग भवन सं०-16/453, के विरुद्ध की गयी कटौती की धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में	-	15 दिन	आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय के पत्रांक 4034/अ०वि०अनुभाग दिनांक 29.12.2017 श्री जीत बहादुर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उनके कटौती की गयी धनराशि वापस करते हुये आवेदक को सूचना प्रेषित कर दी गयी है।	प्रकरण निस्तारित
9.	श्री सुरेन्द्र नाथ मिश्र डी-2316, इन्दिरा नगर, लखनऊ। मो०नं०-8765454665	भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।	-	-	सहायक अभियन्ता, भूमि के पत्रांक 1031/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 13.09.2017 द्वारा आवेदक को अवगत करा दिया गया है कि अवैध रूप से कय की गयी भूमि के एवज में भूखण्ड आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है।	प्रकरण निस्तारित